

Regarding incident of disrespect shown on the occasion of installation of statue of Dr. Bhimrao Ambedkar in Gwalior, Madhya Pradesh- laid

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : ग्वालियर में परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापना के विरोध में उनके चित्र और पुतले को सार्वजनिक रूप से जलाया गया, जातीय एवं सामाजिक विद्वेष फैलाया गया, और संविधान निर्माता का खुलेआम कई बार अपमान किया गया । यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, यह राजनीतिक इच्छाशक्ति की विफलता है । क्या संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब का अपमान राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक शांति से जुड़ा विषय नहीं है? जब धार्मिक या सामाजिक विद्वेष फैलाने के मामलों में अन्य स्थानों पर NSA जैसे कठोर कानून लगाए जाते हैं, तो इस मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्या यह तथ्य नहीं है कि बहुजन समाज के महापुरुष के अपमान के मामलों में कानून का रवैया नरम दिखाई देता है? क्या केंद्र सरकार इस पूरे मामले की जवाबदेही तय करेगी और राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब करेगी? इस घटना की उच्चस्तरीय समीक्षा कराई जाए, यह स्पष्ट किया जाए कि NSA क्यों नहीं लगाया गया, और यह सुनिश्चित किया जाए कि परम पूज्य बाबा साहेब के अपमान और सामाजिक नफरत फैलाने वालों को किसी भी स्तर पर संरक्षण न मिले ।